अनुदान संख्या 100 – युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
GRANT No. 100 - MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2181,90,00		2731,91,00	2662,15,04	-69,75,96
पूरक	Supplementary	550,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					65,88,65
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	35,02,00		45,02,00	45,00,00	-2,00
पूरक	Supplementary	10,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹6975.96 लाख) नवम्बर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹55001.00 लाख के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹6975.96 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grant of ₹55001.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेलकूद और युवा सेवाएं	Sports and Youth Services				
मू.	O.	196826.00			
पू.	S.	53300.00	263692.58	263253.48	-439.10
पु.	R.	13566.58			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	18164.00			
पू.	S.	1701.00	0.01	..	-0.01
पु.	R.	-19864.99			

(I) ₹19915.00 लाख का प्रावधान (₹1701.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹18575.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹19915.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1701.00 lakhs) remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹18575.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" under the following heads:

(का) "खेलकूद और युवा सेवाएं – निदेशन और प्रशासन – नेहरू युवा केंद्र संगठन" – ₹1786.00 लाख;

(A) "Sports and Youth Services - Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan" - ₹1786.00 lakhs;

(खा) "खेलकूद और युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" –

(B) "Sports and Youth Services-Youth Welfare programme for Students" -

(क) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" – ₹955.00 लाख;

(a) "National Service Scheme" - ₹955.00 lakhs;

(ख) "राष्ट्रीय युवा कोर"– ₹800.00 लाख;

(b) "National Youth Corps" - ₹800.00 lakhs;

(गा) "खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद और खेल" –

(C) "Sports and Youth Services - Sports and Games" -

(क) "भारतीय खेल प्राधिकरण"– ₹6300.40 लाख (₹1500.40 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(a) "Sports Authority of India" - ₹6300.40 lakhs (including supplementary grant of ₹1500.40 lakhs);

(ख) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान" – ₹874.00 लाख;

(b) "Laxmibai National Institute of Physical Education" - ₹874.00 lakhs;

(ग) "पूर्वोत्तर में खेलकूद विश्वविद्यालय" – ₹950.00 लाख;

(c) "Sports University in North East" - ₹950.00 lakhs;

(घ) "खेलों इंडिया" – ₹3900.20 लाख; (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना"–

(क) "अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्कीम" – ₹1530.20 लाख; (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान के सहित)

(ख) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹910.00 लाख; और

(ङ) जन–जातीय क्षेत्र उप योजना – संविधान के 275 (1) अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत अनुदान" – ₹569.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

उपर्युक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यार्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2204" के अन्तर्गत प्राप्त किए गए पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाये गए निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(का) "निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय सेवा स्कीम" – ₹1640.50 लाख के मूल प्रावधान को ₹205.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1845.50 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹530.54 लाख की बचत (सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

(खा) गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – यूथ होस्टल"– ₹224.00 लाख के मूल प्रावधानों को ₹1800.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2024.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1897.03 लाख की बचत (सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) कोविड–19 के प्रकोप की वजह से यूथ होस्टल के नवीकरण/मरम्मत के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन

(d) "Khelo India" - ₹3900.20 lakhs; (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Scheme for the development of scheduled castes" - ₹1530.20 lakhs; (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(b) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹910.00 lakhs; and

(E) "Tribal Area Sub-Plan - Grants under Provision to article 275(1) of the constitution" - ₹569.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh).

Provisions under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2204" - remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(A) "Direction and Administration - National Service Scheme" - the original provision of ₹1640.50 lakhs was augmented to ₹1845.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹205.00 lakhs. However, there was a saving of ₹530.54 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of Utilisation Certificates from State Governments.

(B) "Youth Welfare programmes for non-students - Youth hostel" - the original provision of ₹224.00 lakhs was augmented to ₹2024.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1800.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1897.03 lakhs (including supplementary grant) - due to non-

न मिलने के कारण हुई।

(III) "मुख्य शीर्ष "2204" – "गैर–छात्रों के लिए कल्याण कार्यक्रम – युवा नेता कार्यक्रम" के अन्तर्गत ₹742.00 लाख मूल प्रावधान को ₹1595.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2337.00 लाख कर दिया गया, जो तथापि, ₹1561.60 लाख की सीमा तक कोविड–19 की वजह से आस–पास के युवा संसद का का संचालन न किए जाने एवं आउटरीच एवं संचार ब्यूरो द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2204" – अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान–प्रदान"– ₹555.67 लाख की बचत (₹1130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) – भूटान, नेपाल और फिलिस्तीन से युवा प्रतिनिधिमंडल का यात्रा स्थगित होने और सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक से कम मांग होने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹595.70 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक जो स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत और 40 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹14053.92 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि नवम्बर 2019 में मुख्य शीर्ष "2204" के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत ₹22501.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "निदेशन और प्रशासन – नेहरू युवा केन्द्र संगठन" – ₹1786.00 लाख।

(खा) "छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम– राष्ट्रीय सेवा स्कीम" – ₹310.81 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹310.80 लाख था।

(गा) "गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को अनुदान" – ₹655.00 लाख।

approval of proposals for renovation/repair of Youth hostels owing to outbreak of COVID-19.

(III) Under Major Head "2204" - "Youth Welfare Programmes for non-students - Young leader Programme" - the original provision of ₹742.00 lakhs was augmented to ₹2337.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1595.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1561.60 lakhs - due to non-conduction of neighborhood Youth Parliament owing to COVID-19 and requirement of less funds by Bureau of Outreach and Communication.

(IV) Under Major Head "2204" - "International Co-operation - Exchange of Delegation of Youth at International level" - saving of ₹555.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1130.00 lakhs) was due to postponement of visit of youth delegation from Bhutan, Nepal and Palestine and less demand from Controller of Aid, Accounts and Audit.

(V) Under two heads savings of ₹595.70 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 35 percent and 40 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹14053.92 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹22501.00 lakhs in November, 2019 under Major Head "2204" - under the following heads:

(A) "Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan" - ₹1786.00 lakhs.

(B) "Youth Welfare Programme for Students - National Service Scheme" - ₹310.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹310.80 lakhs.

(C) "Youth Welfare Programme for Non-students - Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development" - ₹655.00 lakhs.

(घा) "खेलकूद और खेल"।

(क) "भारतीय खेल प्राधिकरण"— ₹6650.00 लाख।

(ख) "खेलो इंडिया" — ₹3814.86 लाख।

(ङ) "खेलकूद और युवा सेवाएं — खेलकूद और खेल" — ₹837.25 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹837.24 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत— निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं —

(का) "शारीरिक शिक्षा — लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर" — ₹874.00 लाख का अधिक व्यय (₹2850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "खेलकूद और खेल — पूर्वोत्तर में खेलकूद विश्वविद्यालय" — ₹731.64 लाख का अधिक व्यय (₹50.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना — खेलकूद और युवा सेवाएं — निदेशन और प्रशासन" — ₹550.00 लाख का अधिक व्यय (₹3724.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उर्पयुक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(घा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग — एनवाईकेएस और एनएसएस को सुदृढ़ करने के लिए यूएनवी परियोजना — बाह्य रूप से सहायता प्राप्त संघटक" — ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) फेज II परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को अंशदान की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹586.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत

(D) "Sports and Games" -

(a) "Sports Authority of India" - ₹6650.00 lakhs.

(b) "Khelo India" - ₹3814.86 lakhs.

(E) "Sports and Youth Services - Sports and Games" - ₹837.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹837.24 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2204" - under the following heads:-

(A) "Physical Education - Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior" - excess of ₹874.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2850.00 lakhs);

(B) "Sports and Games - Sports University in North East" - excess of ₹731.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs);

(C) "Special component plan for Scheduled Castes - Sports and Youth Services - Direction and Administration" - excess of ₹550.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3724.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) "International Co-operation - UNV Project for strengthening NYKS and NSS-Externally aided component" - excess of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards contribution to Controller of Aid, Accounts and Audit for implementation of Phase II project.

(III) Under two heads excess of ₹586.00 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and

प्रावधान का 13 प्रतिशत और 66 प्रतिशत थी।

constituting 13 percent and 66 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture				
मू.	O.	1001.00	4500.00	4500.00	..
पु.	R.	3499.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2501.00	..	..	..
पू.	S.	1000.00			
पु.	R.	-3501.00			

(I) ₹3502.00 लाख का प्रावधन तीन शीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹3500.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय – पूर्वोत्तर में खेलकूद विश्वविद्यालय" के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विर्नियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹3502.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹3500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Capital outlay on Education, Sports, Art and Culture - Other Expenditure - Sports University in North East" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4202" – "खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद स्टेडियम – राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹3500.00 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4202" - "Sports and Youth Services - Sports Stadia - National Institute of Sports" - excess of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.